रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 1985/फाल्गुन 8, 1906
No. 50] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 27, 1985/PHALGUNA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1985

सं. आरएस. 1/2/85-एल.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश, 27 फरवरी, 1985, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को बुधवार, 13 मार्च, 1985 को

मध्याह्न पूर्व 11-00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

27 फरवरी, 1985

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति ।"

कृष्णा कुमारी चोपड़ा, अपर सचिव ।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1985

No. RS. 1|2|85-L.—The following order by the President, dated the 27th February, 1985, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Wednesday, the 13th March, 1985, at New Delhi.

The 27th February, 1985. ZAIL SINGH,
PRESIDENT."

(Smt.) K. K. CHOPRA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985